न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :–महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
266 / 2024	02.07.2024	04.12.2024

उनवान

1. शिशिर यादव उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुर चक नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
2. कश्मीर उम्र 34 वर्ष पुत्र श्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुर चक नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।

वादीगण

वनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुरचक नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
2. सूरजभान पुत्र श्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुर चर्क नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

...प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इंद्राजात धारा 88,89 आर0टी0ए0

उपस्थितिः–

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा।

दावा के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

1. वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.22 है0, 1949 रकबा 0.34 है0, 1953 रकबा 0.43 है0, 1954 रकबा 0.43 है0, 1960 रकबा 0.01 है0, 1961 रकबा 0.01 है0, 1962 रकबा 0.86 है0, 1964 रकबा 1.28 है0, 1965 रकबा 1.04 है0, 2010 रकबा 0.55 है0, 2011 रकबा 1.05 है0, 1955 रकबा 0.55 है0, 1976 रकबा 0.95 है0, 2039 रकबा 0.86 है0, 2040 रकबा 0.05 है0, 2041 रकबा 0.47 है0, 2050 रकबा 0.48 है० वाके ग्राम घीलोठ तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज० मे स्थित है जिसे आगे चलकर वाद पत्र मे आराजी मुतनाजा से सम्बोधित किया जावेगा।आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से का खातेदार हम वादीगण के दादा श्री सुलतानजी थे। जिनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इंतकाल 1045 उनके विधिक वारिसान क्रमशः शान्ति पत्नी सुलतान, राजेन्द्र, सुरजभान पुत्रान सुलतान व कृष्णा, मोटा रामगिरी पुत्रीन सुलतान, कृष्णा पत्नी सुबेसिंह कश्मीर, शिशिर पुत्रांन सुबेसिंह के नाम से स्वीकृत किया गया। जिसके मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी सही दर्ज की गई तथा उक्त विरासत इंतकाल के आधार पर हम वादीगण की बुआ कृष्णा, मोटा, रामगिरी के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्से के 2\3 हिस्से की रिलीज प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम से तथा 1\3 हिस्से की रिलीफ हम वादीगण के नाम से दिनांक 25.05.2005 को तथा उक्त आराजी मे हम वादीगण की दादाजी ने अपने खातेदारी हिस्सा में से 2\3 हिस्से की रिलीज डीड प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक व 1/3 हिस्से की रिलीज हम वादीगण के हक मे दिनांक 26.10.2023 को की गई है। उक्त रिलीज होने के बाद उक्त आराजी मुतनाजा मे हम प्रत्येक वादीगण के नाम से हिस्सा–1/24 एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक क नाम स हिस्सा–1/12 की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर हाल 1976,2939, 2040, 2041, 2050 मे खातेदारी सही दर्ज कर दी गई लेकिन खसरा नम्बर 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 मे हम वादीगण की बुआजी कृष्णा, मोटा, रामगिरी एवं हमारी दादीजी द्वारा करवाई गई रिलीज डीड के मुताबिक खोला गया इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी सही दर्ज नही की गई और गलती व लापरवाही से उक्त आराजी मे हम प्रत्येक वादीगण को हिस्सा–5\168 के तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा–2/21 के गलत खातेदार दर्ज कर दिया गया और उक्त आराजी मे वादी सं० 1 का नाम भी शिशिर यादव पुत्र सुबेसिंह के स्थान पर शिशर पुत्र सुबेसिंह गलत दर्ज कर दिया गया। तथा वादी सं० 2 के हिस्से को पी.एन.बी. शाखा नीमराना के रहन होने का इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रतिवादी सं० 2 ने कभी भी अपने हिस्से पर पं.एन.बी. शाखा नीमराना से कोई ऋण नही लिया गया। लेकिन वादी सं० 2 के हिस्से को पी.एन.बी. शाखा नीमराना के रहन होने का गलत इन्द्राज कर दिया गया जो गलत खातेदारी इन्द्राज राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

रिकार्ड में रिपीट होता चला आ रहा है। जिसकी जानकारी होने पर हम वादीगण ने आराजी मुतनाजा के हाल व पीछे के रिकार्ड व रिलीज डीड की नकले लेकर दिनांक 17.06.2024 को तहसीलदार साहब नीमराना से मिला तो तहसीलदार नीमराना ने रिकार्ड देखकर बताया कि यह गलती राजस्व न्यायालय में दावा दायर कर दुरूस्त करवाओ। इसके बाद हम वादीगण ने प्रतिवादी सं० 1 व 2 को उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी देकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने कहा कि – रिकार्ड में खातेदारी गलत दर्ज है तो उसे आप दुरूस्त करवाने की कार्यवाही करलो हम राजीनामा लिखकर देने के लिए तैयार है। इसलिए हम वादीगण अपने वकील साहब से मिलकर, यह दावा दुरूस्ती इन्द्राजात का पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. आराजी मुतनाजा मे हम वादीगण के नाम से गलत खातेदारी एवं वादी सं० 1 का गलत नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से दर्ज किये गये है। जिससे हम वादीगण के हक हकूक प्रभावित होते है तथा मिन वादी सं० 1 का सही एवं वास्तविक नाम शिशिर है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल भरते समय मिन वादी सं० 1 का नाम शिशिर की बजाय शिशर गलत दर्ज कर दिया गया इसलिए राजस्व रिकार्ड मे भी गलत नाम शिशर ही दर्ज कर दिया गया। जो गलत इन्द्राज को हम वादीगण दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। ऐसी सूरत मे खसरा नम्बर हाल 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 वाके ग्राम घीलोठ तह० नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड मे हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के हम प्रत्येक वादीगण को हिस्सा–1/24 के तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा–1/12 के खातेदार घोषित किये जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हिस्से पर जिस बैंक के रहन का अंकन किया हुआ है उसे प्रतिवादी सं० 1 व 2 के खातेदार के हिस्से की भूमि पर अंकन किया जाने का आदेश फरमाया जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 1976,2939, 2040, 2041, 2050 के राजस्व रिकार्ड मे वादी सं० 1 का नाम शिशर दर्ज किया हुआ है उसे वांदी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र तथा रिलीज डीड के आधार पर दुरूस्त की जाकर उसके स्थान पर शिशिर यादव पुत्र सुबेसिंह दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे तथा उक्त खसरा नम्बर मे वादी सं० 2 के खातेदारी हिस्से पर पी.एन.बी. शाखा नीमराना के रहन का नोट गलत लगा रखा है जबकि वादी सं० 2 ने पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा से कोई ऋण नहीं लिया ना ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है। इसलिए वादी सं० 2 के नाम के नीचे राहिन हि0–1/84 (पूर्णखाता) पी.एन.बी. शाखा नीमराना मुर्तहन को हटाया जाने का आदेश फरमाया जाना न्याय संगत है।वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा मे सहखातेदारो के खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है। इसलिए दावा मे सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नही बनाये गये है।

3. अंत मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना कि है:–
(क) कि डिक्री दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि खसरा नम्बर हाल 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 वाके ग्राम घीलोठ तह० नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड मे हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के हम प्रत्येक वादीगण को हिस्सा–1⁄24 के तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा–1⁄12 के खातेदार घोषित किये जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हिस्से पर जिस बैंक के रहन का अंकन किया हुआ है उसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हिस्से की भूमि पर अंकन किया जाने का आदेश फरमाया जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा . गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे। तथा इसी . अनुसार खसरा नम्बर 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 1976,2939, 2040, 2041, 2050 के राजस्व रिकार्ड मे वादी सं० 1 का नाम शिशर दर्ज किया हुआ है उसे वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र तथा रिलीज डीड के आधार पर दुरूस्त की जाकर उसके स्थान पर शिशिर यादव पुत्र सुबेसिंह दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे तथा उक्त खसरा नम्बर मे वादी सं० 2 के खातेदारी हिस्से पर पील.एन.बी. शाखा नीमराना के रहन का नोट गलत लगा रखा है जबकि वादी सं० 2 ने पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा से कोई ऋण नही लिया ना ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है। इसलिए वादी सं0 2 के नाम के नीचे राहिन हि0–1⁄84 (पूर्णखाता) पी.एन.बी. शाखा नीमराना मुर्तहन को हटाया जाने का आदेश फरमाया जाना न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

(ख) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ग) दिगर दादरसी जो करीने इंसाफ हो बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण संख्या 1 , 2 व वादी न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए उन्होंने दिनांक 02.12.2024 को लिखित राजीनामा पेश किया जिस राजीनामा मे प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए वाद को डिक्री किये जाने की सहमति दी है। राजीनामा बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया।

5. राजीनामा प्रस्तुत होने के पश्चात वकील वादीगण की बहस सुनी गई। हमने वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि मे नकल जमाबंदी संवत 2075–78,नकल इंतकाल विरासत सुल्तान, नकल इंतकाल रिलिज डीड,इंतकाल बैक रहन,नकल जमाबंदी संवत 2071–73,रिलीज डीड व पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट पेश की है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 मे अंकित किया है कि ग्राम घीलोठ के खाता संख्या 631 किता 11 रकबा 6.22 हैक्टेयर व खाता संख्या 632 किता 01 रकबा 0.55 आराजी खं0नं0 1955 मे राजेन्द्र पुत्र सुल्तान हि0 2/21, सुरजभान पुत्र सुल्तान हि0 2/21, कश्मीर पुत्रद सुबेसिंह हि. 5/168,शिखर पुत्र सुबेसिंह हि. 5/168 निवासी परतापुर चक नं0 2 खातेदार दर्ज है। नामा.सं. 1045 विरासत से सुल्तान पुत्र कन्हीराम की बजाय शांति पत्नी सुल्तान,राजेन्द्र पुत्र सूरजभान पि0 सुल्तान हि. 3/28 कृष्णा पत्नी सुबेसिंह,कश्मीर पि0 सुबेसिंह हि. 1/28, कृष्णा,मोटा,रामगिरी पुत्रीयान सुल्तान हि. 3/28 दर्ज हो स्वीकृत किया गया। इसके बाद नामा0 सं. 1112 हक त्याग से कृष्णा,मोटा, रामगिरी पुत्रीयान सुल्तान हि. 2/28 की बजाय राजेन्द्र सुल्तान हि. 1/14 शिशिर कश्मीर पि0 सुबेसिंह हि. 1/28 को हकत्याग कर दिया। लेकिन जमाबंदी संवत 2063–66 की जमाबंदी मे सहवंन से कृष्णा,मोटा,रामगिरी पुत्रीयान सुल्तान का हि. 1/28 शिशर,कश्मीर की बजाय शांति पत्नी सुल्तान के नाम इन्द्राज हो गया जो गलत है। इसी प्रकार नामा सं. 1176 रहननामा का जमाबंदी संवत 2063–66 मे सहवन से कश्मीर पुत्र सुल्तान का भी रहन दर्ज हो गया तथा साथ ही यह भी अंकित किया है कि खाता संख्या 631 व 632 मे शांति पत्नी सुल्तान नामा सं. 4114 दिनांक 20.04.2024 को अपना संपूर्ण हि. रिलीज डीड कर दिया है। तथा उक्त खाता संख्या 631 632 मे कश्मीर पुत्र सुबेसिंह हि. 5/168 राहिन हि0 1/84 पीएबी शाखा नीमराना की बजाय कश्मीर पुत्र सुबेसिंह हि. 5/168 निवासी परतापुर चक नं0 2 किया जाना उचित है।

. वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य सही है कि पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे गलत इन्द्राज हुआ है वादी द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड नकल इंतकालात, नकल जमाबंदीयात के अवलोकन से वादीगण का वाद साबित होता है। वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

7.अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बरूवे राजीनामा डिकी किया जाकर खसरा नम्बर हाल 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 वाके ग्राम घीलोठ तह० नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के वादीगण प्रत्येक को हिस्सा–1/24 के तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा–1/12 के खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्से पर जिस बैंक के रहन का अंकन किया हुआ है उसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हिस्से की भूमि पर अंकन किया जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमावन्दीयात खसरा . गिरदावरीजात मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं खसरा नम्बर 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 1976,2939, 2040, 2041, 2050 के राजस्व रिकार्ड मे वादी सं० 1 का नाम शिशर दर्ज किया हुआ है उसे वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र तथा रिलीज डीड के आधार पर दुरूस्त किये जाकर उसके स्थान पर शिशिर यादव पुत्र सुबेसिंह दर्ज किये जाने को आदेश दिये जाते है तथा उक्त खसरा नम्बर मे वादी सं० 2 के खातेदारी हिस्से पर पी.एन.बी. शाखा नीमराना के रहन का नोट गलत लगा है जबकि वादी सं० 2 ने पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

से कोई ऋण नही लिया ना ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है। अतः वादी सं0 2 के नाम के नीचे राहिन मुर्तहन का जो नोट लगा हुआ है उसे हजफ किया जावे तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में बाद दुरूस्ती अमल दरामद किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :–महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 266 / 2024	रजू दिनांक 02.07.2024	निर्णय दिनांक 04.12.2024

उनवान

1. शिशिर यादव उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुर चक नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
2. कश्मीर उम्र 34 वर्ष पुत्र श्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुर चक नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०। वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुरचक नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
2. सूरजभान पुत्र श्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम परतापुर चर्क नं. 2, तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज०।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) ...प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इंद्राजात धारा 88,89 आर0टी0ए0

उपस्थितिः–

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा।

दिनांक 04.12.2024 —ःपर्चा डिकीः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बरूवे राजीनामा डिकी किया जाकर खसरा नम्बर हाल 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 1955 वाके ग्राम ोलोठ तह० नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम से दर्ज ातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के वादीगण प्रत्येक को हिस्सा–1 / 24 ; तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा–1 / 12 के खातेदार घोषित किया जाता है तथा तिवादी संख्या 1 व 2 हिस्से पर जिस बैंक के रहन का अंकन किया हुआ है उसे प्रतिवादी सं0 1 व के हिस्से की भूमि पर अंकन किया जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे तथा इसी ानुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा . गिरदावरीजात मे अंकन किये जाने के आदेश दिये ाते है एवं खसरा नम्बर 1948, 1949, 1953, 1954, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 2010, 2011, 955 1976,2939, 2040, 2041, 2050 के राजस्व रिकार्ड मे वादी सं० 1 का नाम शिशर दर्ज किया आ है उसे वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र तथा रिलीज डीड के आधार पर दुरूस्त किये ाकर उसके स्थान पर शिशिर यादव पुत्र सुबेसिंह दर्ज किये जाने को आदेश दिये जाते है तथा उक्त ासरा नम्बर मे वादी सं० 2 के खातेदारी हिस्से पर पी.एन.बी. शाखा नीमराना के रहन का नोट गलत ागा है जबकि वादी सं० 2 ने पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा से कोई ऋण नही लिया ना े किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है। अतः वादी सं0 2 के नाम के नीचे राहिन मुर्तहन का जो ोट लगा हुआ है उसे हजफ किया जावे तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में बाद दुरूस्ती अमल दरामद ऽये जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे ोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)